न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—247/2017/2223 (2017/00247)

1. धापू पत्नि शंकरसिंह पुत्री स्व0 खूमा, जाति रावत, निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजी पुत्री भैरू पुत्री स्व0 खूमा, जाति रावत, नि0 ग्राम देवगढ़ तनथावला तह0 डेगाना, जिला नागौर ।
3. नानी पत्नि बालूसिंह पुत्री खूमा, जाति रावत, नि0 ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
4. बादामी पत्नि हनुमान पुत्री खूमा, जाति रावत, नि0 ग्राम लयालीखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पांची पत्नि स्व0 खूमा, जाति रावत, निवासी पिछोलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. दशरथ दत्तक पुत्र खुमा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— प्रेमी पत्नि दशरथ,
   3/2— नन्दू पुत्र दशरथ नाबाबलिग जरिये सरंक्षक माता प्रेमदेवी,
   3/3— राजू पुत्र दशरथ नाबालिग जरिये सरंक्षक माता प्रेमदेवी,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम पिचोलिया, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 23.12.2016 अंतर्गत वाद संख्या 95/2014.

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एवं श्री मृणाल शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1ख 3/1 से 3/3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—31.1.2019

1. हस्तगत अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष एक वाद संख्या

53/2007 अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो वाद तारमील अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के जवाबदावा हेतु नियत रखा गया और प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर वाद खारिज करने कार निवेदन किया जिसका जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् वाद हस्तातंरित होकर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष सुनवाई हेतु पेश हुआ जिस उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.8.2010 को वाद को निरस्त कर दिया । निर्णय दिनांक 30.8.2010 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गईं जिसमें अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो जाने से आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा ने राजीनामे के अनुसार अपने आदेश दिनांक 27.6.2014 से अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.8.2010 को निरस्त करते हुए वाद संख्या 53/2007 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 23 3 नियम सपठित धारा 151 जा0दी0 राजीनामे के संदर्भ में तहसीलदार, पीसांगन से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनकर राजीनामे के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करे जिसकी पालना में उक्त प्रतिप्रेषित किये गये वाद संख्या 53/2007 को नये वाद संख्या 95/20014 को दर्ज करते हुए उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने निणर्सय दिनांक 23.12.2016 से वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/6 हिस्से का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के स्थान पर वादग्रस्त भूमि के केवल आधे हिस्से में ही 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया और आधे हिस्से में दर्ज नहीं किये जाने का कारण प्रतिवादी संख्या 1 पांची जिसे भी वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार स्वीकार किया गया है जिसके द्वारा अपने हिस्से से अधिक आधे हिस्से की आराजी का बैचान करने से खरीददारान के नाम दर्ज हो जाने का कथन करते हए शेष आधे हिस्से पर सभी पक्षकारान का 1/6 हिस्सा आधी भूमि पर अंकन का आदेश प्रदान किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रिमाण्ड आदेशों में दिये गये निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । वादग्रस्त भूमि के बाबत् वाद के सभी पक्षकाराने ने आपसी सहमति से राजीनामा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें सभी ने वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होना स्वीकार किया जिसके आधार पर ही हाजा न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में कुरेजात रिपोर्ट मंगाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने विपरीत जाकर केवल मात्र आधे हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर ही प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज करने का निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती पांची ने स्वंय राजीनामा विलेख पत्र में अपना 1/6 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में होना स्वीकार किया है और अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करने का उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था इसके उपरांत भी यदि क्रेतागण ने उसे बहला–फुसलाकर धोखाधड़ी से उसके हिस्से से अधिक भूमि का बैचान अपने पक्ष में करवा लिया है तो भी उन्हें वादग्रस्त भूमि के 1/6

हिस्से पांची के हिस्से से अधिक के हक, अधिकार कतई प्राप्त नहीं हो सकते है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2016 को निरस्वत किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि पर आधे हिस्से की भूमि में प्रत्येक पक्षकारान का 1/6 हिस्से के स्थान पर समस्त वादग्रस्त भूमि में समस्त पक्षकारान का 1/6 हिस्सा अंकन दर्ज किये जाने एवं पांची के 1/6 हिस्से तक बैचान कर देने से क्रेता के नाम पांची के स्थान पर 1/6 हिस्से का अंकन दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 27.6.2014 की पालना में प्रकरण को दर्ज कर बिना विधिवत् अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रक्रिया अपनाये प्रतिप्रेषित आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 2.7.2017 को हुई तब नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुत करने हेतु कहा किन्तु उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमियां सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित की है । विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

8. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांटस द्वारा सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष विवादित आराजियात के संबंध में वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी/रेस्पो0 ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया जिसका जवाब वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् वाद सहायक कलक्टर, अजमेर से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को हस्तातंरित हो गया । उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर सुनवाई कर निर्णय दिनांक 30.8.2010 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या के बीच राजीनामा होने से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0दी0 के

तहत प्रस्तुत किया । हाजा न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0दी0 के अनुसार अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.6.2014 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का निर्णय दिनांक 30.8.2010 निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार, पीसांगन से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनकर राजीनामे के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.12.2016 को पारित की जिसमें विवादित भूमि के आधे हिस्से में से वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया । हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 पांची द्वारा प्रस्तुंत राजीनामा दिनांक 25.6. 2014 पेश किया गया है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 पांची ने यह स्वीकार किया है कि '' मैं पांची पत्नि स्व0 खूमा रातव पूर्णतया सहमत होकर राजीनाम करते हुए यह स्वीकृति देती हूं कि नामांतकरण संख्या 334 दिनांक 20.1.1988 जो फौती नामांतकरण विरासत के रूप में त्रुटि से अकेले मेरे नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन कर दिया गया उसे निरस्त किया जाकर स्व0 खूमा की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की आराजी में उनके जाईन्दा विधिक वारिसान में स्व0 खूमा की पत्नि पांची एवं जाईन्दा पुत्रिया धापू, राजी, नानी, बिदाम है जिनका वादग्रस्त आराजी में मेरे सहित बराबर–बराबर हिस्सा है तथा मैने गोद पुत्र के रूप में दशरथ सिंह को गोद लिया जिसकी मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान में उसकी पत्नि प्रेम व उसके दो पुत्र नंदा व राजू का भी 1/6 हिस्से में बराबर–बराबर 1/18 हिस्सा है जिसके अनुसार न्यायालय में विचाराधीन अपील व वाद हक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार करते हुए प्रत्येक का 1/6 हिस्सा अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन की प्राथमिक ड्रिकी प्रदान करते हए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव लेकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी नक्शा ट्रेस में खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री उपरोक्तानुसार पारित किये जाने के लिये हम सभी उपरौकत पक्षकार आपसी सहमति से एकराय होकर यह राजीनामा कर लिया है ।'' उक्त राजीनामे से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में स्व0 खूमा के प्रत्येक वारिसान का 1/6 हिस्सा था । हाजा न्यायालय ने अधी0न्याया0 को राजीनामे के अनुसार वाद में निर्णय व डिक्री पारित करने के निर्देश दिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने हाजा न्यायालय के निर्देशों के विपरीत विवादित भूमि के आधे हिस्से में से अपीलांटस एवं रेस्पो0 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा शेष आधे हिस्से में रेस्पो0 संख्या 1 के क्रेता को खातेदार घोषित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 का जब विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा ही निहित था तो वह अपने हिस्से अधिक की आराजी का बेचान किस प्रकार कर सकती थी । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य तथा राजीनामा एवसं हाजा न्यायालय के निर्देर्शो को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्ड्री दिनांक 23.12.2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मध्य हुए

राजीनामे एवं हाजा न्यायालय के निर्देशों की पालना में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. .निर्णय आज दिनांक 31.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे .इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर